न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 45/2011

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मोटाराम पुत्र खंगारराम जाति पटेल निवासी भांवरी तहसील पाली		सरकार जरिये तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री खंगारराम पटेल, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 8.2.2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 90/2007 बअनवान मोटाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2011 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम भांवरी तहसील पाली के खसरा नम्बर 196 रकबा 15 बीघा की भूमि का आवंटन दिनांक 06.05.1963 को अपीलाण्ट के पक्ष में हुआ था। उक्त भूमि पर वक्त आवंटन से अपीलाण्ट काबिज काश्त है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट का नाम बतौर खातेदार दर्ज नहीं करने के कारण अपीलाण्ट द्वारा समुचित दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर उक्त आंवटित भूमि की खातेदारी अपीलाण्ट के नाम से घोषित कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद को स्पष्ट रूप से नकारा ही नहीं कि उक्त आवंटन नहीं हुआ हो अथवा आवंटन को कभी निरस्त किया गया हो। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा समुचित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनमें सदन फीस की रसीद प्रदर्शित करवाई, लगान जमा करवाया, उसकी रसीदें प्रदर्शित करवाई। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का ने अपने बयानों में मौके पर अपीलाण्ट का कब्जा होना स्वीकार किया है। स्वयं भूमिधारी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बयानात् के आधार पर अपीलाण्ट का वाद सिद्ध होता है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से तनकीयात कायम कर उनका विनिश्चय करते हुए वादी का वाद खारिज कर कानूनी भूल की है, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को खारिज किया जावे तथा अपीलाण्ट को वादस्थ भूमि का खातेदार घोषित करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषित कराने का वाद प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात को विनिश्चित करते हुए वादी का वाद साबित नहीं होने के कारण वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा बतौर वादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर ग्राम भांवरी के खसरा नम्बर 196 रकबा 15 बीघा भूमि दिनांक 06.05.1963 को स्वयं को आवंटन होना बताते हुए उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम इन्द्राज नहीं होने के कारण वादी को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अनुतोष चाहा तथा उक्त भूमि में वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी न करने हेतु प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए वादी का वाद खारिज कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की, जिसमें से तनकी संख्या 1 वादी द्वारा साबित की जानी थी एवं तनकी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी द्वारा साबित की जानी थी। वादी द्वारा उक्त भूमि पर अपने कब्जे के समर्थन में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में राजकोष में जमा करवाई गई राशि की रसीदें प्रस्तुत की। वादी द्वारा यह कथन अंकित किया कि उनके द्वारा उक्त भूमि का लगान अदा किया गया है, इस सम्बन्ध में जब भूमि की खातेदारी ही वादी के पक्ष में इन्द्राजित नहीं थी, तो उसके द्वारा जैर अपील भूमि, जो आरम्भ से ही सरकारी दर्ज है, का लगान अदा किये जाने बाबत तथ्य स्वीकार योग्य नही पाए जाते है। चूंकि उक्त भूमि सिवायचक होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। विधि अनुसार सरकारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कब्जा करने पर उसे अतिक्रमण की संज्ञा में मानते हुए तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाती है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य प्रकट ही नहीं हुआ। यदि अपीलाण्ट का मौके पर कब्जा होता, तो निश्चय ही अपीलाण्ट के विरूद्ध सन्दर्भित कानून के तहत कार्यवाही की गई होती, जो नहीं की गई। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की गई, उन्हे अपने पक्ष में साबित करने में अपीलाण्ट असमर्थ रहने के कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादी का वाद खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 90/2007 बअनवान मोटाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2011 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.2.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली